युनाइटेड इंडिया इन्थ्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

(भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक) पंजीकृत व प्रधान कार्यालय : युनाइटेड इंडिया हाउस, 24 व्हाईट रोड, चेनई - 600 014.



UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

(Subsidiary of General Insurance Corporation of India)
Regd. & Head Office: United House, 24, Whites Road, Chennai - 600 014.

गृहधारक बीमा - प्रस्ताव प्रपत्र / HOUSEHOLDER'S INSURANCE PROPOSAL FORM

एजेंसी	AGENCY
2	

recurrents of the Householder by continuous for the statement	
 प्रस्तावक का पूरा नाम NAME OF PROPOSER IN FULL 	
2. आवासीय पता RESIDENTIAL ADDRESS	francest sharms mary must test making maneurs sended the s

3. व्यवसाय OCCUPATION प्रीमियम (कंपनी के बीमित राशि दर प्रति उपयोग के लिए) खंगड क सम्पत्ति का विवरण Sum remium (For एक हजार SECTION NO. **DESCRIPTION OF PROPERTY** the use of Insured Rate per the Co.) रु. / Rs. mile ₹./Rs. (अ) बिल्डिंग (केवल 'ए' श्रेणी के निर्माणवाली) Tioned (A) Building (of Class-A Construction only) 0.50 अग्नि तथा संबध्द (ब) अंतर्वस्तुएं : (जवाहरत व मृल्यवान वस्तुओं को छोड़कर) प्रस्तावक व उसके साथ हमेशा आपटाएं रहनेवाले परिवार के सदस्यों की हो Fire and Allied 0.50 (B) Contents: (Excluding Jewellery & Valuables) Belonging to the proposer and Perils members of his family permanetly residing with him / her.... II अंतर्वस्तुएं : उपर्युक्त पते पर दर्शाएं परिसरों में रखी सभी अंतर्वस्तुएं गबन या चोरी समेत CONTENTS: All contents in the Permises stated at the above address. सेंधमारी तथा 2.40 गृहभेदन नोट : बीमाकृत वस्तुओं का मृल्य उपर्युक्त मद 1(ब) में उल्लिखित मृल्य के सममृल्य का होना चाहिएं Burglary and NOTE: Insurance on contents should be for value equivalent to the value Housebreaking mentioned under item 1(B) above. Including Larceny of theft जवाहरात तथा मूल्यवान वस्तुएं Jewellery & Valuables: जवाहरात तथा मूल्यवान वस्तु का वर्णन Description of Jewellery and Valuables : Ш | विवरण Description मुल्य Value क्रमांक S. No. सर्व जोखिम 10.05 All Risks (यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो ब्यौरा देते हुए अतिरिक्त शीट संलग्न करें) (If space not sufficient please attach separate sheet giving details) प्लेट ग्लास का वर्णन तथा उसकी किंमत Description of Plate Glass and its value : IV विवरण Description 10.00 प्लेट ग्लास Plate Glass प्रस्तावक के सभी विद्युतीय , इलेकट्रॉनिक तथा मशीनी सयंत्र, उपकरणों या गैजिट्स का वर्णन V Descraption of all Electrical, Electronic and Mechanical Appliances, Apparatuses or Gadgets beloging to the Proposer धरेलू उपकरणों का विवरण Description निर्माण का वर्ष Year of Make किंमत Value विभंग क्रमांक S. No. 2.50 Breakdown of Domestic कुल Total_ Appliance निर्माण Make प्रकार Model निर्माण वर्ष year of Make मुल्य Value VI 10.05 टी. वी. सेट T. V. Set मेक तथा निर्माता का नाम निर्माण वर्ष फ्रेम क्र. उपसाधनों समेत मुल्य Make & Name of Manufacturer Value including Year of Mfg. Frame No. VII Accesssories 20.05 पेडल सायकल रु. Rs. Pedal Cycles रु. Rs. रु. Rs. भारत में कहीं भी यात्रा के दौरान वहन किए जानेवाले व्यक्तिगत बैगेज, व्यक्तिगत सामान तथा अन्य वस्तुओं का ब्यौरा VIII Details of Personal Baggage Personal Effects and Other articles carried during the period of Travel anywhere in India. बैगेज बीमा 7.55 यात्रा सामान Baggages विवरण Description मुल्य Value Baggage Insurance

युनाइटेड इंडिया इन्थ्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

. (भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक) पंजीकृत व प्रधान कार्यालय : युनाइटेड इंडिया हाउस, 24, व्हाईटस रोड, चेन्नई - 600 014

गृहधारक बीमा (सामान्य जानकारी)

गृहधारक-बीमा पॉलिसी द्वारा छोटे गृहधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक पॉलिसी के अन्तर्गत अनेक आपदाओं को अन्यथा जिनके प्रति अलग से बीमा सरंक्षण दिया जाता है को एकबध्द कर बीमा सरंक्षण दिया जाता है यह पॉलिसी निम्नांकित को बीमा संरक्षण प्रदान करती है.

खण्ड । (ए) केवल श्रेणी "ए" की निर्माण वाली बिल्डिंग और (बी) अन्तर्वस्तुएं : अग्नि (विस्फोट से उतपन्न अग्नि सहित) तिडति, घरेलू उपकरणों में गैस का विस्फोट, पानी के टैंक संयन्त्र या पाइप का परिवाह या फट जाना, वायुवान या उससे गिराये गयें सामान, उपद्रव और हडताल, भूकम्प (अग्नि और / या आघात) दुर्भावनाजन्य कृत्य, बाढ, आप्तावन, झंझावात, चक्रवात, धसकन और भूस्ख्तन (चट्टान खिसकने सहित) क्षति, समाघात क्षति

क्लास 'ए' निर्माण :

बिल्डिंगों की बाहरी दीवार (दिवारें) पत्थर / ईंट / कांक्रिट ब्लाक / एसबेस्टॉस शीट क्लेंडिंग और / या मेटल शीट क्लेंडिंग / ग्लास पैनेल / अंशतः या पूर्णतः खुलें किनारे तथा आर. सी. सी. छत / मशीनरी / एसबेस्टोसॅ कांक्रीट शीट / मेटल शीट / टाइल्स / लकडी के शिगेल या बोर्डिंग आर. सी. सी. / स्टील / लकडी के फ्रेम वर्क पर बोर्डिंग की होगी.

महत्वपूर्ण सूचना :- 1.अज्वलनशील छत के लिए घास, सूखी घास या रीड की पतली परत स्वीकृत है.

> स्काईलाइट के लिए थर्मोसेटिंग रेसिन, फाइबर ग्लास, रिइन्फोस्टेड शीट का प्रयोग स्वीकृत करते है.

खण्ड || सेंधमारी तथा गृहवेधन गवन या चोरी :- बीमाधारक के परिसर में या उसके द्वारा अधिकृत सम्मत्ति की हानि या क्षति.

खण्ड III सर्व जोखिम :- अनुसूची में निर्दिष्ट दायित्व सीमा के अधीन जवाहरात तथा मूल्यवान वस्तुओं को भारत में कहीं भी दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई हानि या क्षति .

खण्ड IV प्लेट ग्लास :- अनुसूची में निर्दिष्ट दायित्व सीमा के अध्यधीन जडित प्लेट ग्लासकी दुर्घटनात्मक क्षति से हुई हानि.

खण्ड V घरेलू उपकरणों का विभंग :- घरेलू इलेक्ट्रीकल इलेक्ट्रोनिक या मशीन उपकरणों, यंत्र या गैजिट की मशीनी और / या विद्युतीय विभंग के कारण उतपन्न क्षति.

खण्ड VI टी.वी. सेट :- टेलिविजन सेट को अग्नि, तिहत, घरेलू उपकरणों में गैस का विस्फोट, पानी की टंकी की फटना या पिरवाही, एयरक्प्रॅफ्ट या उससे गिरी वस्तुएं, भूकम्म, अग्नि और / या शॉक, बाढ, आप्लावन, झंझावत, चक्रवात और उसी प्रकार की आपदा, दंगा, हडताल या दुर्भावनाजन्य कृत्य, सेंधमारी या गृहभेदन या चोरी, बाह्य दुर्घटना और मशीनी या विद्युतीय विभंग से उत्पन्न हानि या क्षति. विधिक दायित्व रु. 25,000/- तक और ॲन्टीना गिरने से बीमाधारक के स्वंय संपत्ति की हानि रु 3,000/- तक सीमित होगी.

खण्ड VII पेडल साइकिल - अग्नि, तिडत, बाह्य विस्फोट, उपद्रव और हडताल या दुर्भावजन्य कृत्य, भूकम्प, अग्नि और / या आघात, बाढ, आप्लावन, झंझावत, चक्रवात बर्गलरी गृहभेदन और / या चोरी और/बाह्य दुर्घटना से तथा अन्य सदृश्य आपदाओं से हानि या क्षति तथा विधिक दायित्व रुपये 10,000/- तक सीमित है .

विशेषाधिकारी :- प्रत्येक हानि पर प्रथम रुपये 10/- देय नहीं होगा परन्तु रुपये 10/- से अधिक की हानि होने पर कम्पनी पूरी राशि के लिए दायी होगी.

खण्ड VIII बैगेज बीमा - बीमाधारक के भारत में कही भी दौरे या छुट्टी पर यात्रा करते कि समय उसके अनुषंगी सामान की दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई हानि या क्षति.

खण्ड IX व्यक्तिगत दुर्घटना - अनुसूची में निर्दिष्ट दायित्व की सीमाओं के अध्यधीन अनुसूची में निर्मित बीमाधारक की आकिस्मक, हिंसात्मक, बाह्य तथा दृष्ट कारणों से हुई मृत्यु या शारीरिक चोट.

खण्ड (IX) व्यक्तिगत दुर्घटना के अन्तर्गत लाभ तालिका निम्नांकित है :-

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

(Subsidiary of General Insurance Corporation of India)
Regd. & Head Office: United India House, 24, Whites Road, Chennai - 600 014.

HOUSEHOLDER'S INSURANCE (General Information)

HOUSEHOLDERS INSURANCE POLICY is designed to cater to the requirements of the Householder by combining under a Single Policy a number of contingencies which are otherwise covered separately. The Policy covers as under:

SECTION I: (A) BUILDING OF CLASS 'A' CONSTRUCTION ONLY & (B)CONTENTS: Against Fire, Lighting, Explosition of gas in domestic appliances, bursting and overflowing of water tanks apparatus or pipes, aircraft or articles dropped therefrom riot and strike, Earthquake (Fire and / or Shock)malicious act,flood,induation,storm,cyclon,subsidence and landslide (including Rockslide)damage,impact damage.

CLASS 'A' CONSTRUCTION:

Building shall have external wall (s) of stone/ Bricks/ Concrete Blocks / Asbestos Sheets Cladding and or Metal Sheets Cladding Glass Panel / Partly or fully open sided and roof of R.C.C. / Masonry / Asbestos Concrete Sheets / Metal Sheets / Tiles / Wooden Shingles or Boardings on R.C.C. / Steel / Wooden frame-work.

N.B.: 1. Thin layer of grass ,hay or reeds on incombustible roofing is permitted

2. Use of Thermosetting resin fibre glass reinforced sheets is permitted for skylights.

SECTION II: BURGLARY AND HOUSE BREAKING LARCENY OR THEFT: Loss of damage to property contained in the premises occupied by the insured.

SECTION III: ALL RISK: Jewellery and Valuables against loss or damage by accident or misfortune whilst anywhere in India subject to limit of liability specified in the schedule.

SECTION IV: PLATE GLASS: Fixed plate Glass against accidental damage subject to limit of liability specified in the schedule.

SECTION V: BREAKDOWN OF DOMESTIC APPLIANCES: Damage caused by and/or solely due to mechanical and/or electrical breakdown of domestic electrical, electronic or mechanical appliances, appratus or gadgets.

SECTION VI: T.V.SET: Loss of or damage to television set by fire, lightening, explosion of gas in domestic appliances, bursting and overflowing of water tanks, aircraft and articles dropped therefrom, earthquake, fire and/or shock, flood, inundation, storm, cyclone and like perils, riot, strike or malicious act, burglary or house-breaking or theft, accidental external means and mechanical or electrical breakdown. Legal liability limited to Rs. 25,000 and damage to insured's own property due to collapse of antenna upto Rs. 3,000/-

SECTION VII: PEDAL CYCLES: loss or damage to due to fire, lightning, externel explosition, riot and strike or malicious act, earthquake, fire and/or shock, flood, inundation, storm, cyclone and other like perils, burglery, housebreking and/or theft and/or external accident, also legal liability subject to limit of Rs. 10,000/-

Franchise: The first Rs.10/-is not payable for each and every loss but the company will be liable for loss in full if it exceeds Rs. 10/-

SECTION VIII: BAGGAGE INSURANCE: Loss or damage to insured's accompanied baggage by accident or misfortune whilst the insured is travelling on tour or holiday anywhere in India.

SECTION IX: PERSONAL ACCIDENT: Death or bodily injury by accidental, violet, external and visible means to the insured persons named in the schedule and subject to limits as specified in the schedule.

Table of Benefits under Section No. (IX) PERSONAL ACCIDENT, are as under:

2

THE CASE HALL	नाम		आयु	व्यवसाय	प्रस्तावक	समनुदेशिती	वर्तमान दुर्बलता/	विकल्प दिये	HANG	प्रशुल्क के	L.T	Mount
IX	Name				Contraction of the	का नाम	अशक्तता का विवरण	लाभों की		अनुसार		
व्यक्तिगत दुर्घटना			100	-,00	Relationship	Name of	Details of Existing	तालिका	From Park	As per	700	
Personal			1 6 4		with Proposer	Assignee	Infirmity/disability	Table of		Tariff	BeC	
Accident	1.				F-6001 28	SIR ALE HE		benefits opted			THE T	
	1.				(icen, ent	Gapital Sur	One Eye (100%)		s Twa Eyes o	of Two Lim	FOR	
	2.		in lo		Mos trans	Tay Pupe 1817 Thus Sun	With the second	FIE	12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ार क्या होति या of One Lim	120 L	
	3.		allu fi	1	Asnot re	चीत्र वर्गात सम		proper to	figure to it field		SULL.	
					thennantin	e di Cantali Si	101, reads nemen	ouries other than	most tgemund		me9	
	नोट :	(i) लाभ	। तालिका वे	त लिए सूच न	ग शीट देखें						Stipes	.8.
	NOTE:	(i) for	table of be	enefit see	informantion	sheet.			nemoldasiO II		re9	
		(ii) मृत्यु	सार असाह करांच्य		97E							
							ise see back)		10006 ± 1915	स्त्रीताम् सम्ब	शिक्ष)।	
0000-00			OUTPI		inet enti	file suide at	(200	solda Webles Periodina Period	u Jon tilensdv	0.50	maj.	_
X	(क) A)	सार्वजनिक Public Li		1	Carrowa si							
सार्वजनिक दायित्व	0 1911				SK GROUP				ल हायर ५	प्रशुल्क के	STEE	
Public Liability	relations and man	0	यत्व (घरेलू						200	अनुसार	3:00	
TUS GERNBERGE MES	CURRENCE OF CONSIGNO STORE OF STORE STORE STORE OF THE STORE					As per Tarif	0 100	Sin H				
	o totoM to					nut -[म् ॥ विका । विकास	प्रीमियम ТОТ	AL PREMIUN	/। रु./Rs.	B.F.	
					100 t 18 20년(ाँएं :4 खण्डों :	से अधिक का बीमा	संरक्षण करने के	न लिए छट	%रु	Shore.	2 4
			Ind Year			ALL THE STREET STREET	nt for covering r		. 6/	% Rs.	0 1/4 0 1/4	Blank
) Habds Isu						H. Belt Drive		Pales	के जिल्ला वेद्याले व
							का तथा का जोगि वधी बचीएका के जोगि वधी		ारण मामान गराहर जिल्हा विशवस			e mier
					adworking ma				मियम NET F			ोक का
									nada NELLE			
	eus holste				kers involved			SIF BURN TODE				
petween me/us described herein स्थान Place देनांक DATE	and the n	Insurance Tava mara (beruar	e Compan du as re de mome 9	ny. I/We f voo segs) hadmai nine ton	Family Pack Eaming M Spouse (if	re that the		rein represer	nt the full va इ. १९६ में एस इ. इ.स्थित) तथा पा	live of the	e pro	perty
व्यक्तिगत दुर्घटना ASSIGNMENT (CE SECTIO	NE IV					
में.	CLAUSL	NON FL	130NAL /	ACCIDEN	II INSUNAN		मेरी मृत्यु होने की व	गा में समाहरे	र टंटिगा ट्या	विकास	ਹੀ ਕਿ	ਗਿਕੇ ਵ
	imited to			children,			eby assign the n	and the second second second second second second	The state of the second second			
द्वारा देय धन राशि व	का समनदेश	राने विता :	TLUBAL	i oliane	CTION X:		विधिक्त विधान सक्त स्वी					
United India Insu	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		ong at agis	of or dam	esol to of val	Jini an	त्र दावित्व और बीमा या	हाहोति का विधिव	र्यात के जिए बीर	ते को हानि या	the r	हें हम क
			ed in the		भाग ता छुआता ब्रह्म	ाधारक के साथ ।	रिश्ता) (relation to	the insured)				H THEFT
के पक्ष में करता / व					के प्रति पर्याप्त	उन्मोचन होर्ग	han e	F33	व समूह			
and I further dec	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									नंबार्य है		
दिनांक / Dated t		THO/TIOT TO	ocipt onai		ay of		are a factor to discon-	थान / at		INTERNATION OF ITS		
साक्षी / Witness		Баютач	y ananasas utni		eT-gon no 48			इण्ड निविधि प	er ex memorial Ar	meson of S	mer c	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Inc. Seth			If arom ere							
1) नाम / Name	Mala a d	to account	energy and a	3370-1316	na de la nase		The state Sections					in vi
2) पता / Address	s		Skir.n.	20101-1410	status principal	0.00			प्रस्त			
	M Hora			ieuii) : un				प्रसास नहीं करत				
(L) MITO 181	oss etc.	Islingano	ene cons	I bos ise	W noitsiden	iade	£	- 4	Contract to	महतादित व	nest	ांचत जा
i boe belpelle i	the caver	PRO INCIDISC	NOUS DECLU				D BY INSURAN			भी कार्यालय	कि स्रो	नी के जि
विशेष शर्त : बी							्होगें जिसके साक्ष्यां					
SPECIAL CONDITION				o section No	OS.	above	in witness where	1000	of species species		con	npany.
कार्यालय का पत	If / OFFIC	E ADDRI	SS B HO	99 794 7	on solier 12			युनाइटेड इंडिय	THE THE R. L. LEWIS CO. L.		<u>15 1</u> 111	व्यक्तिक
resided to vitent	awoller al				TO DEFENDE		FOR	UNITED IND	IA INSURAN	ICE CO. L	.TD.	Yfa
mob to Winner				of Ineme	as No Influe		ा था उसका नाम रखन			मा पॉलिस ह र फोक्स हर हो	व्या व्या संस्तास	HINE II
tieve y nelstimme ley nor stell se					in intra int				ाव करेगा अध्यक्षा एक और कोई भी			
दिनांक Date	Frwolls	ed yam	as jeinde	n illoue la	person nos eq				कृत हस्ताक्षरी A		Siar	natory
									न तार्थाक प्राप्तान । जनसङ्ख्या स्वास्त्र	स्ट स्थापिताम् । स्ट निर्माणस्य व	18 III	BONE J
											pfive	व्यक्र
						3			0-1100/11-0	(A) PANKA	8-0	all me
											-	-

लाभ क. Benefit No.		तालिका	बीमा सुरक्षाप्राप्त लाभ	दर प्रति हजार Rate per Mille					
	क च्लाक	विव DESCRI		त्रक् सम्मुद्दिशती	Table	Benefits covered			जोखिम समूह III Risk Group III
1.	केवल मृत्यु Death only	to aldal	facilitation of ground and	मूल बीमा राशि का 100% of Capital Sum Insured)	T TO HOME	1	0.45	0.60	0.90
2.	दोनों हाथों, दोनों आँखों या एक हाथ तथ Loss of Two Limbs Two Eyes			मूल बीमा राशि का 100% of Capital Sum Insured)					AbinsA
3.	एक हाथ की हानि या एक आँख की दृष्टि Loss of One Limb or One Eye		(50%	मूल बीमा राशि का 50% of Capital Sum Insured)			,	\$	
4.	उपरोक्त के अलावा जख्मों से हुई स्थायी Permanent Total Disbuerment from		en named above (1	मूल बीमा राशि का 100% 00% of Capital Sum Insured)	11	1 से to 4	0.65	0.90	1.30
5.	स्थायी आंशिक अपंगता Permenent Partial Disablemer	nt		पोलिसी की अनुसूची के अनुसार as per schedule of policy	ing (III) yili I see Intol	ार्ज 1 से to 5	0.95	TOM	1.75
6.	अस्थायी पूर्ण अपंगता पूंजीगत बीमित ल (अधिकतम साप्ताहिक लाभ रु. 3000)		क	मूल बीमा राशि का 1%		की दशा में जाए	eg (ib		
	Tempopry Total Disablement u (maximum weekly benefit not			% of Capital Sum Insured	IV	ी से to 6	1.50	2.00	3.00

जोखिम समूह । :- लेखापाल, डॉक्टर, वकील, वास्तुविद, परामर्शक इंजीनियर, अध्यापक, बैंकर्स, प्रशासिकय कार्य से जुड़े व्यक्ति, इसी प्रकार के जोखिमों से प्राथमिक

जोखिम समृह !! :- बिल्डर्स, केवल अधीक्षक रूप में कार्यरत इंजीनियर तथा ठेकेदार, पशु-चिकित्सक, मोटर कार तथा हल्के मोटर वाहन को चलाने वाले वेतनभोगी ड्राइवर तथा (शारीरिक श्रम से जुडे व्यक्तियों को छोडकर)इसी प्रकार के जोखिमों से जुडे व्यक्ति

शारीरिक श्रमों से कार्यरत सभी व्यक्ति (समूह III में आनेवाले व्यक्ति छोड़कर) नकद वहन करनेवाले कर्मचारी गैरेज तथा मोटर मैकेनिक,मशीन चालक,टुक तथा लॉरी के ड्राइवर व्यावसायिक कसरत तथा खिलाडी,काष्ठ शिल्प मशीनचालक तथा इसीप्रकार के जोखिमों में कार्यरत व्यक्ति

जोखिम समृह !!! :-भृमिगत खदानों विस्फोटक,बारुदखाना में कार्यरत व्यक्ति उच्चदाब वितरित होने वाले विद्युत संस्थापन से जुड़े श्रमिक जौकी,सर्कस,चक्के तथा घुडदौड में काम करनेवाले व्यक्ति, बडें जानवरों के शिकारी ,पर्वतारोहण शितकालिन खेल ,स्कीइंग,आइस हॉकी,बलूनिंग,हैन्डग्लाइडिंग,रिवरराफटिंग,पोलो तथा इसीप्रकार के जोखिमों में कार्यरत/ गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति

:- अतिरिक्त संरक्षण :-

- अतिरिक्त प्रीमियम पर मूल बीमा राशि के 10% तक के संरक्षण चिकित्सा व्यय 💝 (दुर्घटनासे उतपन्न) या स्वीकार्य दावे की 50% राशि जो भी कम हो.
- 2. मुल बीमा राशि के अधिक्तम 2% या रुपये 2500/- जो भी कम हो, के अध्यधीन बीमाधारक के मृतक शरीर (दुर्घटना से मृत्यु होने पर) को उसके निवास स्थान पर ले जाने का वास्तविक खर्च.sv liul enti inoesiget nietes perusai
- 3. परिवार पॅकेज आवरण निम्न रुप में 5% छूट !
- कमानेवाला सदस्य (बीमित व्यक्ति) तथा पति / पत्नी, प्रत्येक के लिए मल यदि कमाते है बीमित राशि का 100% ख. पति / पत्नी (यदि कमानेवाले नहीं है) मूल बीमित राशि के 50% या रु 1 लाख जो भी कम है

..... प्रति बच्चा मूल बीमित राशि का 25% या रु. 50,000 हजार जो भी कम है.

नोट :- बच्चे के लिए, आवरण लाभ 1 से 5 तक सीमित होगा.

खण्ड X सार्वजनिक दायित्व - शारीरिक जख्न या अनुसूची में निर्दिष्ट राशि तक सीमित तृतीय पक्ष के संपत्ति की हानि या क्षति के लिए बीमाधारक का विधिक दायित्व और बीमाधारक के परिसर में कार्यरत घरेलु नौकर के प्रति कर्मकार क्षतिपूर्ति दायित्व.

-समूह छूट-

खण्ड I- बी अनिवार्य है

4 से 6 खण्डों तक के प्रकरण में (प्रशुल्क दर लागू होनेवाले खण्डों सहित) 15% केवल गैर- प्रशुल्क दरों पर

6 से अधिक खण्डों के प्रकरण में (प्रशुल्क दर लागू होनेवाले खण्डों सहित) 20% केवल गैर- प्रशुल्क दरों पर

वर्जित जोखिम :- (उदाहरणात्मक किन्तु व्याख्यात्मक नहीं) यह पॉलिसी अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध, गृह युद्ध तथा उसी समान कार्यकलापों मूल्य-हास, सामान्य टूट-फूट, परिणामी हानी या आदि से उतपन्न हानि या क्षति को संरक्षण प्रदान नहीं करती है.

उपर्युंक्त जानकारी प्रस्तावित बीमा संरक्षण की भूमिका मात्र है तथा अधिक जानकारी हेतु कम्पनी के किसी भी कार्यालय से सम्पर्क करें

नोट :- आवेदन पर प्रीमियम राशि निर्धारित की जाएगी.

- छूट का निषेध -

यथासंशोधित बीमा व अधिनियम 1938 की घारा 41 के अनुसार

- पवासशााधत बामा व आधानयम 1938 को घात 41 के अनुसार

 (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या सम्पत्ति के जोखिम के सम्बन्ध में बीमा पॉलिसी लेने अथवा उसका नवीकरण करवाने अथवा उसे चालू रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से प्रलोभन के तौर पर देय पूरे कमीशन पर या उसके भाग पर कोई छूट न देगा न देने का प्रस्ताव करेगा अथवा पॉलिसी में, दिए गये प्रीमयम पर कोई छूट न देगा, न देने का प्रस्ताव करेगा और कोई भी व्यक्ति पॉलिसी लेने या नवीकरण करवाने या उसे चालू रखने के लिए ऐसी कोई छूट स्वीकार नहीं करेगा, जो बीमाकर्ता द्वारा प्रकाशित विवरणी का या सारिणायों के अनुसार अनुसार न हो.
- इस घारा के उपबंधों का उल्लंधन करने वाला व्यक्ति पाँच सौ रुपये तक के लिएदण्डणीय होगा.

RISK GROUP I: Accountants, Doctors, Lawyers, Architects Consulting Engineers, Teachers, Bankers, Person Engaged in Administrative functions, Persons primarily engaged in occupations of similar hazard.

RISK GROUP II: Builders, Contractors and Engineers engaged in superintending functions only, Veterinary Doctors, Paid drivers of Motor cars and Light Motor Vehicles and persons engaged in occupation of similar hazard and not engaged in manual labour.

All persons engaged in Manual labour (except those falling under Group II) Cash carrying employees, Garage and Motor mechanics, Machine Operators, Drivers of truck or Lorries and other Heavy vehicles, Professional athletes and Sportsman, woodworking machinist and persons engaged in occupations of similar hazard

RISK GROUP III: Persons working in underground mines, explosives, magazines, workers involved in electrical installation with high tersion supply, Jockeys, Circus personnel, Persons engaged in activities like racing on wheels or horseback, big game hunting, Mountaineering, wintersports, skiing, ice hockey, ballooning. hand gliding, riverrafting, polo and persons engaged in occupation/activities of similar

ADDITIONAL COVERS

- 1. Medical Expenses (arising out of an accident) upto 10% of the capital SumInsured or 50% of the admissible claim whichever is lower, at additional premium.
- 2. Actual expenses in respect of carriage of dead body. (due to accident) of the insured to the place of his/her residence, subject to a maximum of 2 % of the C.S.I. or Rs. 2500/- whichever is lower.
- 3. Family Packages Cover as under @ 5% discount :
- (a) Earning Member (Person Insured) and spouse; if earning100% of C.S.I. each
- (b) Spouse (if not earning)...... 50% of C.S.I. or Rs. 1 Lakh whichever is lower.
- 25% of C.S.I. or Rs. 50,000/- whichever is lower per child.

NOTE: 1, For children, the cover will be limited to Benefit 1 to 5.

SECTION X: PUBLIC LIABILITY: Insured's legal liability for bodily injury to or loss of or damage to property of third party limited to amount specified in the schedule and Workmen's Compensation liability to domestic servants engaged in the Insured's premises.

Group of Discount

Section 1-B is compulsory

Where more than 4 to 6 Sections (including tariff rated section) 15% on non-Tariff rates only.

Where more than 6 Section (including tariff rated sections) 20% 9on non-Tariff rates only.

RISK EXCEPTED: (illustrative and not exhaustive) The Policy does not cover inter-alia loss or damage by War, Civil War and the like depreciation, Wear and Tear, consequential loss etc.

The foregoing is only a broad indication of the cover effected and for further details please refer to any office of the Company.

NOTE: The premium will be quoted on application

PROHIBITION OF REBATES ON THE THE

Section 41 of the Insurance Act, 1938 as amended reads as follows.

- No persons shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India any rebate of the whole of part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the Policy nor shall any person taking out or renewing of continuing a Policy accept any rebate expect such rebate, as may be allowed in accordance with the published prospectuses or tables of the insurer.
- Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

4